कार्यालय,जिला शिक्षा अधीक्षक,धनबाद

संख्या– 577 दिनांक– 03/03/2021

प्रबंधक,

जी.जी.सी.ई.टी. संत जेवियर इण्टरनेशनल,नावाडीह,धनबाद।

विषयः– निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिये झारखण्ड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 के अधीन विद्यालय के लिए प्रमाण–पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके द्वारा दिनांक 15.10.2019 को समर्पित आवेदन और इस संबंध में विद्यालय के साथ तत्पश्चात हुए पत्राचार एवं विद्यालय के निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर जिला प्रारम्भिक शिक्षा समिति की दिनांक 01.03.2021 को सम्पन्न बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में जी.जी.सी.ई.टी. संत जेवियर इण्टरनेशनल,नावाडीह,धनबाद को शैक्षणिक सत्र 2021–22 से कक्षा 01 से 08 तक के लिए मान्यता प्रदान की जाती है।

उपरोक्त मान्यता निम्नलिखित शर्तों के अधीन हैः–

1. इस मान्यता में किसी भी रूप से कक्षा 08 के पश्चात मान्यता/संबद्धन करने के लिए कोई बाध्यता निहित नहीं है।

2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एवं झारखण्ड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के उपबन्धों को पूर्ण रूपेण पालन करेगा।

3. विद्यालय अपनी प्रथम कक्षा से उस कक्षा में बालक/बालिकाओं कि संख्या 25 प्रतिशत तक का आस–पडोस के कमजोर एवं अभिवंचित वर्ग के बच्चो को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हे निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक उपलब्ध करेगा।

4. उक्त कंडिका 3 में उल्लेखित बालक/बालिकाओं के लिए, विद्यालय को अधिनियम कि धारा 12 कि उपधारा (2) के उपबन्धो के तहत प्रतिपूर्ति राशि हेतु विद्यालय एक अलग बैंक खाता संधारित करेगा।

5. विद्यालय किसी भी प्रकार के बच्चों या उनके अभिभावक से कोई कैपिटेशन शुल्क नहीं लेगा। और विद्यालय में नामांकन हेतु किसी बालक/बालिका या उसके माता–पिता या अभिभावक का किसी प्रकार स्क्रीनिंग टेस्ट नही लेगा।

6. विद्यालय किसी बालक/बालिका को उसकी आयु का सबूत नहीं होने के कारण प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगा और ऐसी स्थिति में अधिनियम की धारा–15 के उपबन्धों का पालन किया जायेगा।

7. विद्यालय निम्नलिखित बिन्दुओ पर अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

(i) प्रवेश दिये गए किसी भी बालक/बालिका को विद्यालय में उसकी प्रारंभिक शिक्षा पुरी होने तक किसी कक्षा में अनुतीर्ण नहीं किया जएगा। या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा,

(ii) किसी भी बालक/बालिका को शारीरिक दण्ड या मानसिक दण्ड नहीं दिया जायेगा

1

(iii) प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक/बालिका से कोई बोर्ड परीक्षा उतीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

(iv) प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक/बालिका को अधिनियम एवं नियमावली के प्रावधान के आलोक में प्रमाण–पत्र प्रदान किया जायेगा,

(v) अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा,

(vi) अध्यापको कि भर्ती अधिनियम की धारा 3(1) के अधीन घोषित सक्षम प्राधिकार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित न्युनतम अहर्ताओं के अनुरूप किया जायेगा, तथा जिनके पास उस निर्धारित न्यूनतम अहर्ता अधिनियम,2009 के लागू होने के समय नहीं है, पॉच वर्ष के भीतर ऐसी न्यूनतम अहर्तायें अर्जित कर लेंगें।

(vii) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन उल्लेखित अपने कर्तव्यों का पालन करें। और

(viii) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन की किया–कलापों में नियोजित नहीं करेंगें।

8. विद्यालय राज्य प्राधिकार द्वारा अधिकथित पाठयचर्या के आधार पर पाठयकम का पालन करेंगा।

9. विद्यालय अधिनियम की धारा–19 में यथा उल्लेखित विद्यालय के मानकों और सन्नियमों को बनाये रखेगा।

10. विद्यालय के अंतिम निरीक्षण के समय प्रतिवेदित की गई प्रसुविधायें नियमानुसार है:–

(i) विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल,

(ii) कूल निर्मित क्षेत्र,

(iii) क्रीडा–स्थल का क्षेत्रफल,

(iv) कक्षाओं की संख्या,

(v) प्रधानाध्यापक–सह–कार्यालय–भण्डागार के लिए कक्ष,

(vi) बालक/बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय,

(vii) पेयजल सुविधा,

(viii) बाधारहित पहुॅच,

(ix) अध्यापन पठन सामग्री/क्रीड़ा खेल–कूद उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता।

11. विद्यालय के परिसर के भितर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएगी।

12 विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं का क्रीड़ा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनो के लिए किया जायेगा।

577
03/03/2021

13. स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जायेगा।

14. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर एकाउन्टेन्ट द्वारा सम परीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधीक्षक को भेजी जायेगी।

15. विद्यालय ऐसे प्रतिवेदन और जानकारी प्रस्तुत करेगा, जो समय–समय पर प्राथमिक शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा अपेक्षित हो और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकार के ऐसे अनुदेशो का पालन करेगा, जो मान्यता संबंधि शर्तो का शत्त अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किये जाय।

16. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत इसी सोसाईटी द्वारा या तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जायेगा। सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण, यदि कोई हो तो, को सुनिश्चित किया जायेगा।

आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्या 23/2021 है। कृप्या इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख किया जाय।

3/3/21

जिला शिक्षा अधीक्षक
धनबाद

ज्ञापांक 577/धनबाद, दिनांक 03/03/2021

प्रतिलिपिः– संबंधित क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी/संबंधित प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

3/3/21

जिला शिक्षा अधीक्षक
धनबाद

ज्ञापांक 577/धनबाद, दिनांक 03/03/2021

प्रतिलिपिः– उपायुक्त–सह–अध्यक्ष, जिला प्रारम्भिक शिक्षा समिति,धनबाद एवं निदेशक,प्राथमिक शिक्षा,स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड,रॉची की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

3/3/21

जिला शिक्षा अधीक्षक
धनबाद